

## उत्तरांचल शासन

### वित्त अनुभाग-5

#### अधिसूचना

31 जनवरी, 2004 ई०

संख्या 38/वि०अनु०-5/स्टाम्प/(09/स्टाम्प/03)/2004-उत्तरांचल में उसकी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में समय-समय पर यथासंशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2, सन् 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन शक्ति का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल महोदय कृषि विविधीकरण परियोजना के अन्तर्गत गठित स्वयं सहायता समूहों के द्वारा वित्तीय संस्थाओं से लिए जाने वाले रु० 5.00 लाख (रुपये केवल पांच लाख) तक के ऋणों पर उत्तरांचल राज्य सरकार द्वारा प्रभार्य स्टाम्प शुल्क की छूट इस सीमा तक प्रदान करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। यह छूट तत्काल प्रभावी होगी।

आज्ञा से,

इन्दु कुमार पाण्डे,  
प्रमुख सचिव।

In pursuance of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the notification no. 38/Vitt.Anu.-5/Stamp & Regn. (09/Stamp/03)/2004, dated January 31, 2004 for general information :

#### NOTIFICATION

January 31, 2004

**No. 38/Vitt.Anu.-5/Stamp & Regn. (09/Stamp/03)/2004**--In exercise of the powers under clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (Act no. 2 of 1899), as amended from time to time in its application to Uttaranchal, the Governor is pleased to accord sanction to remit with immediate effect the stamp duty chargeable by the State Government of Uttaranchal in favour of Self Help Groups obtaining loan upto Rs. 5.00 Lacs (Rupees Five Lacs only) from financial institutions under diversified agricultural support project.

By Order,

INDU KUMAR PANDE,  
Pramukh Sachiv.

टिप्पणी-राजपत्र, दिनांक 07-02-2004, भाग 1 में प्रकाशित।

[प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित--]

पी०एस०यू० (आर०ई०) 2 वित्त/117-25-02-2004-200 (कम्प्यूटर/रीजियो)।